दि0 06.05.2015 को मंथन सभागार, वन मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में श्री एस0एस0 शर्मा, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित हुई उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की चौदहवीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति का विवरण :

1. श्री ए0के0 दत्त, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड – विशेष आमंत्री
2. श्री राजेन्द्र कुमार, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति।
3. श्री डी0बी0एस0 खाती, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
4. श्री एस॰टी॰एस॰ लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति/अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
5. श्री कपिल जोशी, मुख्य वन संरक्षक।
6. श्री एम॰एस॰ बिष्ट, वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
7. श्री परमजीत सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ करते हुये मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये कार्यकारी समिति की चौदहवीं बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 14.1

दिनांक 09.10.2014 को सम्पन्न हुई तेरहवीं कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन

सभी सदस्यों द्वारा गत तेहरवीं बैठक की कार्यकारी समिति की कार्यवाही की पुष्टि की गई तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 के लक्ष्यों के निर्धारण हेतु सभी जोन, वृत्त तथा वन प्रभाग, प्रतिपूरक वनीकरण तथा वचनबद्ध कार्यो के अनुरूप कार्ययोजना आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–समस्त जोनल अधिकारी, क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 14.2:
कैम्पा निधि के अन्तर्गत APO 2014–15 के सापेक्ष प्रगति का विवरण

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2014–15 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष ₹ 127.93 करोड़ की धनराशि सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की जा चुकी है, जिसकी वित्तीय प्रगति ₹ 112.57 करोड़ (87.99%) है। सदस्यों द्वारा वित्तीय प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 14.3: कैम्पा निधि के अंतर्गत प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 को संचालन समिति में प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु उपलब्ध कैम्पा निधि एवं विभिन्न वन प्रभागों से प्राप्त प्रस्तावों के विषय में अवगत कराया गया एवं सदस्यगणों से वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने के सम्बन्ध में निर्देश/विचार–विमर्श करने हेतु अनुरोध किया गया है। विचार–विमर्श उपरान्त सदस्यगणों द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्ययोजना का आकार ₹ 151.21 करोड़ रखने पर सहमति व्यक्त की गयी तथा समिति द्वारा विचारोपरान्त वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्ययोजना घटकवार एवं उपघटकवार संलग्न विवरणानुसार संचालन समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। (संलग्नक–1)

वर्ष 2015–16 के लिए उपलब्ध धनराशि वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि मार्च, 2015 में अवमुक्त की गयी है, सीमित मात्रा में धन अवमुक्त करने के तीन मुख्य कारण हैं :

1. क्षतिपूरक वनीकरण बैकलॉग पूर्ण न किया जाना ।
2. ई–ग्रीन वॉच में प्रविष्टियां पूर्ण न किया जाना (दिनांक 05.05.2015 तक 18.30.% प्रगति है,)
3. एडहॉक कैम्पा द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 70 प्रतिशत व्यय विलम्ब से किया जाना।

सदस्यों द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग को तत्काल पूर्ण किये जाने तथा उत्तराखण्ड कैम्पा की रिव्यू की जाने वाली दस वर्षीय कार्ययोजना में इसे समायोजित करने तथा ई–ग्रीन वॉच में प्रविष्टियों के आधार पर समानुपात में धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश दिये गये।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सम्मानित सदस्यों को राजस्थान कैम्पा द्वारा बनायी गयी वार्षिक कार्ययोजना को दिखाते हुए उद्धृत किया गया कि श्रम मंत्रालय द्वारा समय–समय पर न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक की दरें निर्धारित की जाती हैं। प्रत्येक क्रियान्वयन

इकाई तथा वन विभाग के अधिकारियों का कानूनी रूप से यह उत्तरदायित्व है कि वह श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गयी दैनिक मजदूरी से कम दरों पर भुगतान नही कर सकते हैं। कम दरों पर आकलन व भुगतान की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारियों व अधिकारियों को उत्तरदायी माना जा सकता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि वार्षिक कार्ययोजना में स्पष्ट रूप से न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक का उल्लेख किया जाय तथा इससे कम दर पर बने हुए समस्त प्राक्कलनों को वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित न किया जाय। कार्यकारी समिति के माननीय सदस्यों द्वारा उक्त पर सहमति व्यक्त की गयी।

वन महानिरीक्षक, एडहॉक कैम्पा द्वारा यह बिन्दु उठाये जाने पर कि उत्तराखण्ड में प्रतिपूरक वनीकरण का लगभग 20093 है0 क्षेत्र में कार्य कराना अवशेष है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्ष 2015–16 में दस वर्षीय कार्ययोजना का पुनर्रीक्षण होना है तथा वर्तमान में उपलब्ध ₹ 1800 करोड़ के सापेक्ष प्रति वर्ष उत्तराखण्ड कैम्पा को ₹180 करोड़ उपलब्ध कराये जाने पर प्रतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग को आगामी पांच वर्षों में पूर्ण किया जाना सम्भव होगा। कार्यकारी समिति के माननीय सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए निर्देश दिये गये कि दस वर्षीय कार्ययोजना का पुनरीक्षण किया जाय तथा उक्तानुसार धनराशि की कार्ययोजना बनायी जाय।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वार्षिक कार्ययोजना 2015–16, संचालन समिति द्वारा पारित होने के पश्चात विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को उनकी स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अपेक्षित अनुपात में उपलब्ध कैम्पा निधि के आधार पर ही धनराशि अवमुक्त किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सदस्यगण कृपया अवगत होना चाहें कि कैम्पा कार्यालय के प्रबन्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभिन्न मदों में कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज से उपलब्ध धनराशि में ₹392.00 लाख का संचालन व्यय हेतु बजट के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा, मुख्य वन संरक्षक, समस्त क्रियान्वयन अभिकरण)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 14.4: वर्ष 2014–15 का आन्तरिक ऑडिट

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के कार्यों का समस्त क्रियान्वयन अभिकरणों का आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य CAG Empanelled CA Firms के माध्यम से कराए जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार वन विभाग में आन्तरिक ऑडिट विभाग की लेखा सेल द्वारा किया जाता है उसी प्रकार उत्तराखण्ड कैम्पा का भी आन्तरिक ऑडिट वन विभाग के लेखा सेल द्वारा कराया जाये। कार्यकारी समिति के माननीय सदस्यों द्वारा उक्त पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा, समस्त क्रियान्वयन अभिकरण)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 14.5: वर्ष 2015–16 की लेखा प्रविष्टि को टैली ई.आर.पी.09 में लेखाबद्ध किए जाने के सम्बन्ध में:–

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2015–16 के कार्यों की लेखा प्रविष्टि Tally ERP09 में CA firms के माध्यम से कराए जाने के स्थान पर विभिन्न क्रियान्वयन इकाईयों तथा वन पंचायतों द्वारा अपना मासिक लेखा/धनराशि का विभिन्न मदों में पूर्ववर्ती माह का उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी माह की 15 तारीख तक आवश्यक रूप से कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा सम्बन्धित क्रियान्वयन इकाई या वन वन पंचायत को कैम्पा निधि से धनराशि अवमुक्त न की जाय। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि क्रियान्वयन इकाईयों से प्राप्त लेखों की प्रविष्टि Tally ERP09 सॉफ्टवेयर में कैम्पा कार्यालय द्वारा की जायेगी। अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन द्वारा विभिन्न क्रियान्वयन इकाईयों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते समय भौतिक लक्ष्य भी इंगित किये जाते हैं, ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो सके तथा प्रभावी रूप से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा सके।

सदस्यगणों द्वारा निर्देश दिये गये कि उत्तराखण्ड कैम्पा में वर्तमान व्यवस्था में बदलाव लाते हुए वित्तीय संसाधनों के साथ–साथ भौतिक लक्ष्य भी इंगित किये जायें ताकि अनुश्रवण एवं मूल्यांकन भी सुगमता से हो सके और फील्ड में कार्यों का संचालन विधिवत रूप से एकरूपता लाते हुए सम्पन्न किया जा सके।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय संसाधनों तथा कोषागार के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समस्त भुगतान की अंतिम तारीख 31 मार्च तक ही लेखा–जोखा दिये जाने का प्राविधान है। चूंकि उत्तराखण्ड कैम्पा भी वन विभाग का एक अभिन्न अंग है, सम्पूर्ण वन विभाग में एकरूपता लाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि बेहतर वित्तीय प्रबन्धन के निर्देशों के अनुरूप कैम्पा द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग केवल 31 मार्च तक ही किया जा सकेगा, इसके उपरान्त अवशेष धनराशि को समर्पित मानते हुए अगले वर्ष की कार्ययोजना में सम्मिलित किया जायेगा। कार्यकारी समिति के माननीय सदस्यों द्वारा उक्त पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा एवं समस्त क्रियान्वयन अभिकरण)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 14.6: कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में किए गए कार्यों की तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किए जाने के सम्बन्ध में:–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कैम्पा निधि के अन्तर्गत विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा किये गये कार्यों का तृतीय पक्ष से मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कराये जाने के स्थान पर उक्त कार्य मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं ऑडिट के माध्यम से कराये

जाने का प्रस्ताव दिया गया। इस सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी तथा सुझाव दिया गया कि यह देख लिया जाय कि मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तृतीय पक्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की परिधि के अन्तर्गत है अथवा नही? इस हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कैम्पा कार्यों के मूल्यांकन हेतु मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने का अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 14.7: राजाजी पार्क की वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्ययोजना में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुक्रम में हाथी रोधी दीवार निर्माण हेतु धनराशि के प्राविधान के सम्बन्ध में चर्चा:–

1–समिति को मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड में वर्तमान मे सूअर, हाथी खाई व सोलर फेंसिंग के माध्यम से मानव वन्यजीव संघर्ष को रोके जाने का कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा ने सुझाव दिया कि उक्त कार्यों हेतु विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा भिन्न–भिन्न मानक अपनाये जा रहे हैं। अतः इस हेतु एक समरूप नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे कि उक्त कार्यो को वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक तरीके से क्रियान्वित किया जा सके। समिति सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि भारतीय वन्यजीव संस्थान से मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने हेतु प्रभावी तरीके, यथा कांटा बांस विधि से निर्मित अवरोध, पथरीली दीवार का निर्माण (दीवार की माप व डिजाइन का निर्धारण) एवं सोलर फेंसिंग इत्यादि एवं इसके कारण वन्यजीवों पर/वन सम्पदा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करा लिया जाय एवं इस पर व्यय होने वाली धनराशि का प्राविधान वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्ययोजना में कर लिया जाय। प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव से अनुरोध किया गया कि वे अपने स्तर से अध्ययन हेतु कार्यवाही कर वित्तीय संसाधनों हेतु अनुमानित व्यय सूचित कर दें ताकि वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्ययोजना में धनराशि उपलब्ध करावा दी जायेगी।

(कार्यवाही– प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

2– श्री ए0के0 दत्त, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव ने यह अवगत कराया कि संरक्षित क्षेत्रों में वनभूमि हस्तान्तरण की शर्तों के अनुरूप 10 गुना एन0पी0वी0 की धनराशि ली जाती है। उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया कि संरक्षित क्षेत्रों को धनराशि का आवंटन करते समय इस तथ्य का संज्ञान लिया जाय तथा शर्तों के अनुरूप ही अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध करायें जायें।

उनके द्वारा वन पंचायतों के विषय में रचनात्मक सुझाव दिये गये कि प्रतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों का आवंटन करते समय यह देख लिया जाय कि क्या उस वन पंचायत में भूमि का हस्तान्तरण हुआ है कि नही? उत्तराखण्ड कैम्पा का मुख्य उद्देश्य भूमि हस्तान्तरण से हुए

नुकसान की भरपायी करना है, इसलिए सर्वप्रथम उन्हीं वन प्रभागों का चयन किया जाय, जहां भूमि हस्तान्तरण हुआ है तथा उसके आस–पास के क्षेत्र में संरक्षण व संवर्द्धन के कार्य कराये जायें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा यह अनुरोध किया गया कि दूरस्थ वन चौकियों व बिना बिजली के अधीनस्थ कार्मिकों के कार्यालयों व आवासों के लिए सोलर पैनल व लाईट की समुचित व्यवस्था की जाये ताकि दुर्गम इलाके में रह रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को टेलीफोन, वायरलैस व रोशनी की व्यवस्था प्रचुर मात्रा में हो सके। इस हेतु वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्ययोजना में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। कार्यकारी समिति के माननीय सदस्यों द्वारा उक्त पर सहमति व्यक्त की गयी।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के कार्यालय द्वारा यद्यपि विभिन्न वन प्रभागों के कर्मचारियों की वर्दी के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं, परन्तु यह मांग के अनुरूप नही हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा इस वर्ष वर्दी मद में रह गयी कमी को कैम्पा के माध्यम से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार उक्त दूरस्थ कार्यालयों व आवासों के समूहों के अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को सामूहिक मैस व आहार भत्ते के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्ययोजना में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि इस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को ₹ 862.00 प्रति माह राशन भत्ता देने का आदेश कर दिया गया है। उत्तराखण्ड कैम्पा में भी इसे लागू करने का अनुरोध किया गया। कार्यकारी समिति के माननीय सदस्यों द्वारा उक्त पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

3– वन विभाग की क्रियान्वयन ईकाईयों द्वारा रिवर ट्रेनिंग वर्क तथा मक डिस्पोजल में धनराशि की मांग की जाती रही है तथा इस वर्ष भी मांग की गयी है, जिसके लिए धनराशि की उपलब्धता आवश्यकता से बहुत कम रहती है। श्री एम0एस0 नेगी, वन महानिरीक्षक, एडहॉक कैम्पा ने विचार विमर्श के उपरान्त यह सुझाव दिया कि रिवर ट्रेनिंग मद व मक डिस्पोजल के लिये धनराशि की मांग वर्ष 2015–16 की कार्ययोजना में सम्मिलित कर स्टेयरिंग कमेटी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त एडहॉक कैम्पा को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया जाय। वन महानिरीक्षक, एडहॉक कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त धनराशि वर्ष 2015–16 में उपलब्ध करा दी जायेगी। इस प्रकार वन विभाग के रिवर ट्रेनिंग वर्क व मक डिस्पोजल के कार्यों का सुचारू सम्पादन हो पायेगा।

रिवर ट्रेनिंग कार्यों, मक डिस्पोजल कार्यो एवं यांत्रिकी निर्माण कार्यों हेतु आई.आई. टी., रूड़की अथवा केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण जैसे संस्थानों से प्रत्येक नदी का अध्ययन

करवाकर मास्टर प्लान तैयार करवा जाय ताकि इन कार्यों का तकनीकी रूप से प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। यहां यह भी अवगत कराया गया कि गौला नदी के लिए रिवर ट्रेनिंग वर्क का मास्टर प्लान आई.आई.टी., रूड़की द्वारा बनाया जा चुका है, इस पर व्यय होने वाली राशि का प्राविधान वर्ष 2015–16 के ए0पी0ओ0 में कर लिया जाय। कार्यकारी समिति के माननीय सदस्यों द्वारा उक्त पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 14.8: उत्तराखण्ड कैम्पा का रोडमैप तथा सुझावों का आमंत्रणः–

• कैम्पा निधि से कराए जा रहे कार्यों का ऑनलाईन भुगतान

वर्तमान में कोर ट्रेजरी सिस्टम के अंतर्गत वन विभाग तथा अन्य राजकीय विभागों द्वारा कराए जा रहे कार्यों का ऑनलाईन भुगतान तथा वाउचर बनाने का कार्य किया जा रहा है उसी प्रकार समस्त वन प्रभागों में एकरूपता व पारदर्शिता लाने के लिए कैम्पा निधि का भी ट्रेजरी सिस्टम प्रक्रिया की भांति संचालन किये जाने पर सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी तथा इस हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य कार्यकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

• वन विभाग के कार्मिकों हेतु कैम्पा निधि के अंतर्गत कल्याण कोष की व्यवस्था

दस वर्षीय राज्य कैम्पा परियोजना में एन0पी0वी0 घटक के अंतर्गत वन विभाग के कार्मिकों हेतु ₹ 11.25 करोड़ के कॉरपस फण्ड/कल्याण कोष (फॉरेस्ट वेलफेयर बोर्ड) का प्राविधान किया गया है। मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन द्वारा वन विभाग के कार्मिकों हेतु कल्याण कोष की नियमावली तैयार की गई है, जिस पर माननीय सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि निधि का संचालन उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा किया जाय, तथा उक्त कोष का संचालन इस प्रकार से किया जाय कि कोष सतत रूप से कार्मिकों की आकस्मिकता हेतु धनराशि उपलब्ध करा सके। वर्ष 2009–2010 से वर्तमान तक कुल ₹ 6.72 करोड़ के कारपस का प्राविधान 2015–16 की कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाये। कार्यकारी समिति के माननीय सदस्यों द्वारा उक्त पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यक्रमों में पर्यावरणीय सेवाओं के अंतर्गत जन समर्थन जुटाना तथा जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन को उनके प्राकृतिक पर्यावरण सहित सुरक्षा और सुधार के लिए युवाओं व छात्रों के स्वैच्छिक आन्दोलन को बढ़ावा दिए जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में समिति द्वारा आगामी वार्षिक कार्ययोजना में धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। इसमें "**स्वच्छ भारत अभियान**", मैड संस्था देहरादून व वेस्ट वारियर्स को भी जोड़ा जा सकता है। कार्यकारी समिति के माननीय सदस्यों द्वारा उक्त पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

- उत्तराखण्ड कैम्पा के एम0आई0एस0 का सरलीकरण किये जाने के प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को निर्देश दिये गये कि वे सरलीकृत एम0आई0एस0 तैयार किये जाने हेतु तत्काल कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

- नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण के कार्यालय द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु ₹ 90.10 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें ₹ 25.00 लाख की धनराशि मीटिंग हॉल के निर्माण हेतु प्राविधानित की गयी थी। जिस पर कार्यकारी समिति द्वारा असहमति व्यक्त की गयी।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 14.9: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार :–

- संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 की संचालन समिति द्वारा स्वीकृति के पश्चात प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा विभिन्न वन प्रभागों को स्वीकृत कार्ययोजना के कन्टीन्जैंसी एवं अन्य मदों में अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किए जाने पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

- वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 की कार्यकारी एवं संचालन समिति द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा राजाजी राष्ट्रीय पार्क को हाथी रोधी दीवार निर्माण हेतु ₹ 100.00 लाख एवं देहरादून वन प्रभाग को मालसी डियर पार्क में विजिटर पाथ के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 60.00 लाख एवं सिमलास बीट में सड़क निर्माण हेतु ₹ 7.90 लाख की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

अन्य बिन्दु

- समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा निधि से प्राप्त ब्याज को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार क्रियान्वयन ईकाईयों द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा को समर्पण किया जायेगा।

(कार्यवाही– समस्त क्रियान्वयन अभिकरण)

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि क्रियान्वयन ईकाईयों द्वारा कैम्पा निधि से वर्षा जल संरक्षण तथा चालखाल निर्माण का कार्य तकनीकी मानकों के अन्तर्गत किया जाय तथा ऐसे कार्यों का तकनीकी नोट समस्त क्रियान्वयन ईकाईयों द्वारा प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

(कार्यवाही– समस्त क्रियान्वयन अभिकरण)

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि तेहरवें वित्त आयोग के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों को कैम्पा निधि से वित्तपोषित किया जाना उत्तराखण्ड कैम्पा निधि से कराये जाने वाले कार्यों की वैद्यानिकता के विरूद्ध है, अतः क्रियान्वयन ईकाईयों तेहरवें वित्त आयोग के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव कैम्पा निधि से कराये जाने हेतु प्रस्तुत न करें। इस सम्बन्ध में समिति सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के सुझाव पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही– समस्त क्रियान्वयन अभिकरण)

- उत्तराखण्ड कैम्पा की दस वर्षीय कार्ययोजना के पुनर्विलोकन (रिव्यू) हेतु समिति द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिमि गठित की गयी जिसमें मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा तथा वित्त नियंत्रक, सदस्य होंगें। उक्त दस वर्षीय वार्षिक कार्ययोजना का रिव्यू कर उक्त कमेटी माह जून तक अपनी रिपोर्ट कार्यकारी समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

(कार्यवाही– उक्त रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य)

- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य कैम्पा हेतु एडहॉक कैम्पा द्वारा बनायी गयी गाईडलाईन में कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव के रूप में नोडल अधिकारी तथा स्टीयरिंग कमेटी हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन एवं गवर्निंग बॉडी हेतु प्रमुख सचिव, वन, सदस्य सचिव हैं। इस सम्बन्ध में कार्यकारी समिति द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को निर्देश दिये गये कि वे प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए धन्यवाद सहित बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

(परमजीत सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा

(एस0 एस0 शमी)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–
कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

संलग्नक – 1

उत्तराखण्ड कैम्पा वार्षिक कार्ययोजना 2015–16

धनराशि लाख रू0

क्र0सं0	घटक का नाम	गढ़वाल जोन	कुमांऊ जोन	राजाजी राष्ट्रीय पार्क	वन्य जीव जोन	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचा.	अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन	अन्य स्तर **	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मुल्याकन	प्रमुख वन संरक्षक परियोजना	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NPV(Including 1D)	1767.79	1907.23	542.00	1798.59	800.00	319.00	402.43	600.11	130.00	72.23	1390.00	9729.37
2	CA	1490.69	1120.93	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2725.41
3	PA	0.00	0.00	0.00	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.14
4	OTHERS	316.81	218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
5	CAT	1562.51	0.00	0.00	411.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	2014.18
	TOTA APO 2015-16	**5137.79**	**3246.34**	**542.00**	**2441.20**	**800.00**	**319.00**	**402.43**	**600.11**	**130.00**	**112.23**	**1390.00**	**15121.09**

** अन्य स्तर

(1) अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय	50.00
(2) अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना	20.00
(3) उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्	36.00
(4) उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड	11.03
(5) मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी	87.16
(6) मुख्य वन संरक्षक, ईको टूरिज्म	20.00
(7) मुख्य वन संरक्षक, प्रचार एवं प्रसार	35.00
(8) मुख्य वन संरक्षक, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी	50.00
(9) सिल्वा (पर्वतीय क्षेत्र)	40.00
(10) सिल्वा (साल क्षेत्र)	53.24
योग	**402.43**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड कैम्पा